न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

प्रकरण सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
249 / 418	06.11.2018	04.07.2019

उनवान

1. चन्द्रभान पुत्र श्री फूल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 :–प्रार्थी / वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र श्री खेमचराम जाति जाट निवासी जालाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0
2. सहायक अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड शाखा कोटकासिम
3. कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड शाखा कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. **श्री फिरोज खांन अभिभाषक प्रार्थी**
2. **श्री पूरण यादव अभिभाषक अप्रार्थी**

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 का इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिपत विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 183 हाल राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिताजी श्री फूल सिंह पुत्र श्री चोखराम जाति जाट निवासी ग्राम जालाका के नाम खातोदारी कब्जा काश्त की दर्ज है। फूलसिंह फौत हो चुका है। जिसकी विरासत का इंतकाल अभी उनके विधिक वारिसान मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार नही हुआ है। मिन वादी के पिताजी श्री फूलसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त आराजीयात का बाहमी बटॅवारा मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगणो के बीच कर दिया था। ताकि भविष्य में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगणों के बीच कृषि भूमि को लेकर कोई तनाजा नही हो। बाहमी बटॅवारा में विवादित आराजी मिन वादी के हिस्से में आई। मिन वादी ही विवादित आराजी पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन वादी ने विवादित आराजी में अपने मवेशियों को बॉधता है व मकान बनाने के लिये नींव भर रखी है, तूडा डाल रखा है। मौके पर मिन वादी का ही विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जा काश्त है। असल प्रतिवादी सं0 1 लडाका वो मुठमर्द प्रवृति का व्यक्ति है जो कि कानून कायदो की कतई परवाह नही करता है। असल प्रतिवादी सं0 1 का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का सम्बंध व सरोकार नही रहा है और ना अब है वो गैरवास्ता गैरकाबिज सख्स है परन्तु विवादित आराजी के तरफ पश्चिम दिशा में लगती हुई असल प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 184/0.1400 हैक्टयर है। मिन वादी की विवादित आराजी व असल प्रतिवादी सं0 1 की आराजी के दरम्यान कदीमी डोल उत्तर से दक्षिण कायम है। असल प्रतिवादी सं0 1 के पास अपनी आराजी खसरा नम्बर 184 में आने–जाने के लिये कोई रिकोर्डेड रास्ता भी नही है। और असल प्रतिवादी सं0 1 अपनी उक्त आराजी को बिना कनवर्ट कराये ही विधि विरूद्ध तरीके से मकान बना रखे है।

मिन वादी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 183 की उत्तरी–पश्चिमी हिस्से में से व उत्तरी–पूर्वी कोना में से असल प्रतिवादी सं0 1, असल प्रतिवादीगण सं0 2, 3 से मिल्लत कर विधुत लाईन डालकर एवं इसमें विधुत पोल टेडे–मेढे गाडकर विधि विरूद्ध व विधुत नियम के विरूद्ध विधुत सम्बंध अपनी आराजी खसरा नम्बर 184 में लेने पर उतारू है। एवं असल प्रतिवादीगण सं0 2, 3 भी असल प्रतिवादी सं0 1 से मिल्लत कर मिन वादी की विवादित आराजी में पोल गाडकर व तारो को खिचकर असल प्रतिवादी सं0 1 को विधुत सम्बंध जारी करने पर उतारू है। यानिकि असल प्रतिवादीगण आपस में मिल्लत कर मिन वादी की विवादित आराजी में पोल गाडकर व विधुत लाईन डालकर ही असल प्रतिवादी सं0 1 को विधुत सम्बंध उसकी आराजी खसरा नम्बर 184 में देने पर उतारू है। जिसका कि असल प्रतिवादीगणो को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हक हासिल नही है।

विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त विरासत में प्राप्त खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगणो का किसी भी प्रकार से सम्बंध वो सरोकार हासिल नही है वो गैरवास्ता आराजी मुतदाविया है। असल अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 2.11.2018 को मिन प्रार्थी/वादी को ऐलानिया तौर पर धमकियॉ दी कि मैं अपनी आराजी खसरा नम्बर 184 में विधुत सम्बंध तुम्हारी विवादित आराजी खसरा नम्बर 183 में डेढे–मेढे पोल गाडकर एवं तुम्हारी विवादित आराजी में से विधुत तार खीचकर, असल प्रतिवादी सं0 2, 3 से मिल्लत कर लूॅगा और असल प्रतिवादी सं0 2, 3 ने भी मिन वादी को ऐलानिया तौर पर धमकियॉ दी कि हम असल प्रतिवादी सं0 1 से मिल्लत कर उसकी आराजी खसरा नम्बर 184 में विधुत सम्बंध तुम्हारी विवादित आराजी खसरा नम्बर 183 मे डेढे–मेढे विधुत पोल गाडकर व विधुत लाईन गुजारकर जारी करेगे। यदि असल अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी/वादी को अपने अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमाबाजी में फॅसना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नही ऑकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी/वादी, असल अप्रार्थीगणो/प्रतिवादीगणो को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि असल अप्रार्थीगणो को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 183/0.1400 हैक्टयर वाके ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 के किसी भी हिस्से मे विधुत पोल ना गाडे, ना ही असल अप्रार्थी सं0 1, असल अप्रार्थीगण सं0 2, 3 से मिल्लत कर विवादित आराजी के उपर से विधुत लाईन गुजारकार विधुत सम्बंध ले, ना ही असल अप्रार्थीगण सं0 2, 3 असल अप्रार्थी सं0 1 से मिल्लत कर विवादित आराजी के किसी भी हिस्से में विधुत पोल गाडकर व विधुत लाईन गुजारकर, असल अप्रार्थी सं0 1 को विधुत सम्बंध जारी करे, ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि उपरोक्त अनुवान का वाद प्रार्थी/वादी ने झूंठे एवं मनघडन्त तथ्यों सहित न्यायालय श्रीमान के सहित पेश किया है जिसमें सफलता की कोई उम्मीद नही करनी चाहिये। पेश कर्दा झूंठा वाद पत्र, झूंठा शपथ पत्र एवं फर्जी व नुमाईशी दस्तावेजात से प्रार्थी/वादी का केस बखूबी प्राईमाफेसाई आयद व साबित नही होता है।

Scanned by CamScanner

वादी के पिता के नाम ख0 सं0 183 हाल राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी आराजी सभी विधिक वारिसान का बराबर का हिस्सा बनता है। जबकि वादी द्वारा जानबूझकर वादी ने स्वयं अपना व अपने भाई वहिन का ही नाम लिखा है। जबकि फूलसिंह की जायज वारिस उनकी पत्नी शान्ति देवी है जो जीवित है इस वाद में जानबूझकर उनको पत्नी शान्ति देवी है जो जीवित है इस वाद में जानबूझकर उनको पक्षकार नही बनाया गया है। धारा 188 राज0 टी0 एक्ट के वाद में सभी पक्षकारान का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया। वादी के पिताजी के जीवनकाल में आ0ख0 सं0 183 का कोई बहामी बंटवारा नही हुआ ना ही उक्त आराजी के मध्य कोई किसी प्रकार की डोल नही है। वादी द्वारा ना ही कोई मवेशीयांन बांधे जाते है ना ही कोई मकान वगैरा ही है। जबकि प्रति0 सं0 1 की ओर से आराजी ख0 सं0 184 ग्राम जालाका में मकान बनाकर रिहायश की हुई है तथा अपने नाम से विधुत संबंध लेने हेतु अप्लाई किया हे जिसका डिमाण्ड नोटिस भरा गया था। विधुत कर्मचारी द्वारा रामभरोस व वादी चन्द्रभान व उनके विधिक वारिसान काफी पुरानी पुख्ता डोल की मेड के मध्य क्रमशः दो विधुत पोल गाडे गये जिससे वादी व तर0 प्रति0 को किसी प्रकार से कोई हानि नही होती है यह विधुत पोल माह अकटूम्बर 2018 में पोल गाड कर मिन प्रति0 सं0 1 के घर के आगे पोल गाड कर लाईन खीच कर मीटर लगा दिया समस्त प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। वादी जहां पर मकान बनाना चाहता है जहां पर ना तो कोई तार व्यवधान पैदा कर रहा है। ना किसी प्रकार की कोई वादी को हानि हो रही है ना ही प्रतिवादी द्वार मेड के साथ कोई छेड छाड ही की गई है। ना ही प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी भी प्रकार से वादी व रामभरोस को मेड को लेकर किसी प्रकार की कोई हानि नही हो रही है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खुद ही लडाकू प्रवृति किस्म के आदमी है जिससे साफ जाहिर होता है की प्रतिवादीगण संख्या–1 का अक्टूबर माह सन् 2018 में विधुत लाईन खेंचने के बाद वादी द्वारा वाद पेश किया गया है। अक्टूबर माह में मौके पर मुकामी पुलिस कोटकासिम भी पहूँची थी जिसको भी वादी व तरतीबी प्रतिवादी द्वारा डरा धमका कर वहां से भगा दिया गया। वादी ने अपने वाद पत्र में कहीं पर यह जिक्र नही किया गया है प्रतिवादी द्वारा उसकी मेड की कोनसी तरफ को तोडा गया है जिसका वादी ने वाद में कहीं पर भी उल्लेख नही किया है और ना ही आराजी कम होने बाबत इस वाद पत्र में वादी ने जिक्र किया है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा विधुत विभाग से मिलिभगत कर पोल नही खिंचवाये बल्कि विधुत विभाग द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया को अमल में लाने के बाद ही प्रतिवादी संख्या–1 के विधुत पोल को गाड़ा है तथा विधुत कर्मचारी द्वारा एक भी पोल को टेडा मेडा नही गाडते हुये पुख्ता मेड के अनुसार ही पोल को गाडा है वादी ने अपने जिमन में इस बात का कहीं पर भी यह उल्लेख नही किया है की किस दिशा में टेडा पोल गडा हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 का कनेक्शन की प्रक्रिया को माह अक्टूबर सन् 2018 में ही पूर्ण हो चुकी थी तथा जो विधुत लाईन मेड के उपर से जारी है वो मय टेपिंग के जा रही है आराजी के अन्दर से मिन प्रतिवादी ने कोई भी लाईन नही खिंचवा रखी है। आराजीयों की मध्य कायम मेड सार्वजनिक होती है जिसे सभी सह काश्तकारान अपने उपयोग उपभोग में अपने हिस्से अनुसार लेते है।

वादी ने वाद पत्र में जो ऐलानिया तौर पर धमकी दी है वो गलत है जबकि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 25.10.2018 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है की प्रतिवादी संख्या–1 की लाईन पूर्ण हो चुकी है। जो केवल आम रास्ता जो कैरवा से सानोदा की तरफ जा रहा है जिसमें अल्टीलेन में नही जोडने देते है बाकि लाईन पूर्ण है। उस रोज मुकामी पुलिस थाना कोटकासिम व विधुत विभाग के जईन, व एईन भी मौके पर पहूँचे थे तथा विधुत विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विधुत संबंध स्थापित कर मीटर भी लगा दिया गया है जिसका बिल भी विधुत विभाग जारी किया हुआ है। जिस वक्त विधुत कर्मचारी द्वारा माह सितम्बर सन् 2018 में

Scanned by CamScanner

सरकारी पोल गाडे जा रहे थे उस वक्त वादी व गाँव के मौजिज व्यक्तियान मौके पर मोजूद थे। ना तो प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा विधुत विभाग के कर्मचारियों द्वारा साज बाज होकर कोई कार्य नही किया बल्कि सम्पूर्ण कार्य पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया से किया गया है वाद वादी मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है खारिज फरमाया जावे।

विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 183 हाल राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिताजी श्री फूल सिंह पुत्र श्री चोखराम जाति जाट निवासी ग्राम जालाका के नाम खातेदारी कब्जा काश्त की दर्ज है। फूलसिंह फौत हो चुका है। जिसकी विरासत का इंतकाल अभी उनके विधिक वारिसान मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार नही हुआ है। मिन वादी के पिताजी श्री फूलसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त आराजीयात का बाहमी बटॅवारा मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगणो के बीच कर दिया था। ताकि भविष्य में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगणों के बीच कृषि भूमि को लेकर कोई तनाजा नही हो। बाहमी बटॅवारा में विवादित आराजी मिन वादी के हिस्से में आई। मिन वादी ही विवादित आराजी पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन वादी ने विवादित आराजी में अपने मवेशियों को बॉधता है व मकान बनाने के लिये नींव भर रखी है, तूडा डाल रखा है। मौके पर मिन वादी का ही विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जा काश्त है। असल प्रतिवादी सं0 1 लडाका वो गुठमर्द प्रवृति का व्यक्ति है जो कि कानून कायदो की कतई परवाह नही करता है। असल प्रतिवादी सं0 1 का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का सम्बंध व सरोकार नही रहा है और ना अब है वो गैरवास्ता गैरकाबिज सख्स है परन्तु विवादित आराजी के तरफ पश्चिम दिशा में लगती हुई असल प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 184/0.1400 हैक्टयर है। मिन वादी की विवादित आराजी व असल प्रतिवादी सं0 1 की आराजी के दरम्यिान कदीमी डोल उत्तर से दक्षिण कायम है। असल प्रतिवादी सं0 1 के पास अपनी आराजी खसरा नम्बर 184 में आने–जाने के लिये कोई रिकोर्डेड रास्ता भी नही है। और असल प्रतिवादी सं0 1 अपनी उक्त आराजी को बिना कनवर्ट कराये ही विधि विरूद्ध तरीके से मकान बना रखे है।

मिन वादी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 183 की उत्तरी–पश्चिमी हिस्से में से व उत्तरी–पूर्वी कोना में से असल प्रतिवादी सं0 1, असल प्रतिवादीगण सं0 2, 3 से मिल्लत कर विधुत लाईन डालकर एवं इसमें विधुत पोल टेडे–मेढे गाडकर विधि विरूद्ध व विधुत नियम के विरूद्ध विधुत सम्बंध अपनी आराजी खसरा नम्बर 184 में लेने पर उतारू है। एवं असल प्रतिवादीगण सं0 2, 3 भी असल प्रतिवादी सं0 1 से मिल्लत कर मिन वादी की विवादित आराजी में पोल गाडकर व तारो को खिचकर असल प्रतिवादी सं0 1 को विधुत सम्बंध जारी करने पर उतारू है। यानिकि असल प्रतिवादीगण आपस में मिल्लत कर मिन वादी की विवादित आराजी में पोल गाडकर व विधुत लाईन डालकर ही असल प्रतिवादी सं0 1 को विधुत सम्बंध उसकी आराजी खसरा नम्बर 184 में देने पर उतारू है। जिसका कि असल प्रतिवादीगणो को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हक हासिल नही है।

विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त विरासत में प्राप्त खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगणो का किसी भी प्रकार से सम्बंध वो सरोकार हासिल नही है वो गैरवास्ता आराजी मुतदाविया है। असल अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 2.11.2018 को मिन प्रार्थी/वादी को ऐलानिया तौर पर धमकियॉ दी कि मैं अपनी आराजी खसरा नम्बर 184 में विधुत सम्बंध तुम्हारी विवादित आराजी खसरा नम्बर 183 में डेढे–मेढे पोल गाडकर एवं तुम्हारी विवादित आराजी में से विधुत तार खीचकर, असल प्रतिवादी सं0 2,

Scanned by CamScanner

3 से मिल्लत कर लूँगा और असल प्रतिवादी सं0 2, 3 ने भी मिन वादी को ऐलानिया तौर पर धमकियाँ दी कि हम असल प्रतिवादी सं0 1 से मिल्लत कर उसकी आराजी खसरा नम्बर 184 में विधुत सम्बंध तुम्हारी विवादित आराजी खसरा नम्बर 183 मे बेढे-मेढे विधुत पोल गाडकर व विधुत लाईन गुजारकर जारी करेगे। यदि असल अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी/वादी को अपने अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमाबाजी में फँसना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नही ऑकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी/वादी, असल अप्रार्थीगणो/प्रतिवादीगणो को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि उपरोक्त अनुवान का वाद प्रार्थी/वादी ने झूंठे एवं मनघडन्त तथ्यों सहित न्यायालय श्रीमान के सहित पेश किया है जिसमें सफलता की कोई उम्मीद नही करनी चाहिये। पेश कर्दा झूंठा वाद पत्र, झूंठा शपथ पत्र एवं फर्जी व नुमाईशी दस्तावेजात से प्रार्थी/वादी का केस बखूबी प्राईमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। वादी के पिता के नाम ख0 सं0 183 हाल राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी आराजी सभी विधिक वारिसान का बराबर का हिस्सा बनता है। जबकि वादी द्वारा जानबूझकर वादी ने स्वयं अपना व अपने भाई बहिन का ही नाम लिखा है। जबकि फूलसिंह की जायज वारिस उनकी पत्नी शान्ति देवी है जो जीवित है इस वाद में जानबूझकर उनको पत्नी शान्ति देवी है जो जीवित है इस वाद में जानबूझकर उनको पक्षकार नही बनाया गया है। धारा 188 राज0 टी0 एक्ट के वाद में सभी पक्षकारान का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया। वादी के पिताजी के जीवनकाल में आ0ख0 सं0 183 का कोई बहामी बंटवारा नही हुआ ना ही उक्त आराजी के मध्य कोई किसी प्रकार की डोल नही है। वादी द्वारा ना ही कोई मवेशीयांन बांधे जाते है ना ही कोई मकान वगैरा ही है। जबकि प्रति0 सं0 1 की ओर से आराजी ख0 सं0 184 ग्राम जालाका में मकान बनाकर रिहायश की हुई है तथा अपने नाम से विधुत संबंध लेने हेतु अप्लाई किया है जिसका डिमाण्ड नोटिस भरा गया था। विधुत कर्मचारी द्वारा रामभरोस व वादी चन्द्रभान व उनके विधिक वारिसान काफी पुरानी पुख्ता डोल की मेड के मध्य क्रमशः दो विधुत पोल गाडे गये जिससे वादी व तर0 प्रति0 को किसी प्रकार से कोई हानि नही होती है यह विधुत पोल माह अकटूम्बर 2018 में पोल गाड कर मिन प्रति0 सं0 1 के घर के आगे पोल गाड कर लाईन खीच कर मीटर लगा दिया समस्त प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। वादी जहां पर मकान बनाना चाहता है जहां पर ना तो कोई तार व्यवधान पैदा कर रहा है। ना किसी प्रकार की कोई वादी को हानि हो रही है ना ही प्रतिवादी द्वार मेड के साथ कोई छेड छाड ही की गई है। ना ही प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी भी प्रकार से वादी व रामभरोस को मेड को लेकर किसी प्रकार की कोई हानि नही हो रही है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खुद ही लडाकू प्रवृति किस्म के आदमी है जिससे साफ जाहिर होता है की प्रतिवादीगण संख्या–1 का अक्टूबर माह सन् 2018 में विधुत लाईन खेंचने के बाद वादी द्वारा वाद पेश किया गया है। अक्टूबर माह में मौके पर मुकामी पुलिस कोटकासिम भी पहूँची थी जिसको भी वादी व तरतीबी प्रतिवादी द्वारा डरा धमका कर वहां से भगा दिया गया। वादी ने अपने वाद पत्र में कहीं पर यह जिक्र नही किया गया है प्रतिवादी द्वारा उसकी मेड की कोनसी तरफ को तोडा गया है जिसका वादी ने वाद में कहीं पर भी उल्लेख नही किया है और ना ही आराजी कम होने बाबत इस वाद पत्र में वादी ने जिक्र किया है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा विधुत विभाग से मिलिभगत कर पोल नही खिंचवाये बल्कि विधुत विभाग द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया को अमल में लाने के बाद ही प्रतिवादी संख्या–1 के विधुत पोल को गाडा है तथा विधुत कर्मचारी द्वारा एक भी पोल को टेडा मेडा नही गाडते हुये पुख्ता मेड के अनुसार ही पोल को गाडा है वादी ने अपने जिमन में इस बात का कहीं पर भी यह उल्लेख नही किया है की किस दिशा में टेडा पोल गडा हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 का कनेक्शन की प्रक्रिया को माह अक्टूबर सन् 2018 में ही पूर्ण हो चुकी थी

Scanned by CamScanner

तथा जो विधुत लाईन मेड के उपर से जारी है वो मय टेपिंग के जा रही है आराजी के अन्दर से मिन प्रतिवादी ने कोई भी लाईन नही खिंचवा रखी है। आराजीयों की मध्य कायम मेड सार्वजनिक होती है जिसे सभी सह काश्तकारान अपने उपयोग उपभोग में अपने हिस्से अनुसार लेते है। वादी ने वाद पत्र में जो ऐलानिया तौर पर धमकी दी है वो गलत है जबकि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 25.10.2018 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है की प्रतिवादी संख्या–1 की लाईन पूर्ण हो चुकी है। जो केवल आम रास्ता जो कैरवा से सानोदा की तरफ जा रहा है जिसमें अल्टीलेन में नही जोडने देते है बाकि लाईन पूर्ण है। उस रोज मुकामी पुलिस थाना कोटकासिम व विधुत विभाग के जईन, व एईन भी मौके पर पहूँचे थे तथा विधुत विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विधुत संबंध स्थापित कर मीटर भी लगा दिया गया है जिसका बिल भी विधुत विभाग जारी किया हुआ है। जिस वक्त विधुत कर्मचारी द्वारा माह सितम्बर सन् 2018 में सरकारी पोल गाडे जा रहे थे उस वक्त वादी व गाँव के मौजिज व्यक्तियान मौके पर मोजूद थे। ना तो प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा विधुत विभाग के कर्मचारियों द्वारा साज बाज होकर कोई कार्य नही किया बल्कि सम्पूर्ण कार्य पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया से किया गया है वाद वादी मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी का पिता फूल सिंह खसरा न0 183 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी स्वय रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है। खसरा न0 184 अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रत्येक कातश्तकार को अपने कृषि कार्यो हेतु कृषि विधुत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। विधुत कनेक्शन के पोल व तारो से प्रार्थी की कृषि भूमि को क्या व कैसा अपूरणीय नुकसान हो सकता है प्रार्थी ने यह साबित नही किया। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी को विद्युत कनेक्शन से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

अप्रार्थी के विद्युत कनेक्शन से प्रार्थी की काश्त सुविधा में कोई बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना नही है, मगर विधुत कनेक्शन में होने वाली देरी या विधुत कनेक्शन न होने पर अप्रार्थी अपने दैनिक उपयोग उपभोग व कृषि कार्य बाबत होने वाली सुविधा से वंचित हो जाएगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है।

कृषि भूमि पर विधुत कनेक्शन कृषि कनेक्शन व घरेलू कनेक्शन दोनो ही प्रकार से कृषक के कृषि कार्य व सहायक कृषि कार्य सम्पादित करने में सक्षम बनता है। अप्रार्थी द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति मै अप्रार्थी को विधुत कनेक्शन से रोकना अप्रार्थी की आवश्यकता व अधिकार के विरूद्ध है। प्रार्थी को अप्रार्थी के विधुत कनेक्शन से किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है।

इस प्रकार का प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नही है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष के न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित ना होने पर खारिज किया जाता है। दिनांक 06.11.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner